हरियाणा सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 अगस्त, 1997

संख्या सा० का० नि० 67/संवि०/अनु० 309/97.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस के द्वारा हरियाणा पूर्ति एवं निपटान निदेशालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1986, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात्:--

1. ये नियम हरियाणा पूर्ति एवं निपटान निदेशालय (ग्रुप ख) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 1997 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पूर्ति एवं निपटान निदेशालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1986 (जिन्हें इस में इसके बाद उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) में, नियम 9 में,--

(i) खण्ड (ख) में, उप खण्ड (ii) में, "1", चिह्न के स्थान पर ";" चिह्न रखा जाएगा ;

(ii) खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) अधीक्षक की दशा में,--

(i) मुख्य सहायक/निजी सहायक में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"।

3. नियम 14 में, उप नियम (1) तथा (2) में, "पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952", शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर "हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987" शब्द, कोष्ठक तथा अंक रखे जायेंगे ।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक निदेशक पूर्ति एवं निपटान (इंजीनियरिंग)	—	1	1	2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500
2.	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (टैक्सटाइल)	1	—	1	2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500
3.	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान कैमीकल्ज	1	—	1	2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500
4.	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (सामान्य)	1	—	1	2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500
5.	सहायक निदेशक, पूर्ति, एवं निपटान (विविध)	1	—	1	2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500
6.	अधीक्षक	1	—	1	2000—60—2300—द० रो०—75—3200—100—3500"

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने की प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने की प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"6.	अधीक्षक	—	(i) मुख्य सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; या (ii) निजी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम दो वर्ष का सहायक के रूप में अनुभव शामिल होना चाहिए।।"

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशस्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (इंजीनियरिंग)	सरकार	1. छोटी शास्तियां — (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसकी पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूंजी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;	निदेशक पूर्ति एवं निपटान हरियाणा	सरकार
2	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (टैक्सटाइल)				
3	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (कैमीकल)				
4	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (सामान्य)				
5	सहायक निदेशक, पूर्ति एवं निपटान (विविध)				
6	अधीक्षक				
			2. बड़ी शास्तियां— (vक) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना; (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर क्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित की क्या	सरकार	

1	2	3	4	5	6
			सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;		
			(vii) निरन्तर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा ;		
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;		
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
			(x) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।"।		

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 5 तथा उसके सामने की प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2
"6	अधीक्षक 1"1

एम० एल० तायल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES DEPARTMENT

Notification

The 21st August, 1997

No. G. S. R. 67/Const./Art. 309/97.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group 'B') Service Rules, 1986, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group B) Service (First Amendment), Rules, 1997.

2. In the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group B) Service Rules, 1986 (hereinafter reffered to as the said rules), in rule 9,—

(i) in clause (b), in sub-clause (ii), for sign "." the sign " ; " shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be added, namely :—

"(C)" in case of Superintendent,

(i) by promotion from amongst Head Assistant/Personal Assistant on senlority-cum-merit basis : or

(ii) by transfer or deputation of an officer or official, already in the service of any State Government or the Government of India. ".

3. In rule 14, in sub-rules (1) and (2), for the words, brackets and figures "Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952", the words, brackets and figures" Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987" shall be substituted.

4. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"APPENDIX A

(*See* rule 3)

Sr. No	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay Rupees.
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Director, Supplies and Disposals (Engineering)	—	1	1	2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500
2	Assistant Director, Supplies and Disposals (Textile)	1	—	1	2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500
3	Assistant Director, Supplies and Disposals (Chemicals)	1	—	1	2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500
4	Assistant Director, Supplies and Disposals (General)	1	—	1	2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500
5	Assistant Director, Supplies and Disposals (Miscellaneous)	1	—	1	2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500
6	Superintendent	1	—	1	2000—60—2300—EB—75—3200—100—3500,"

5. In the said rules, in Appendix B, after serial number 5 and entries there against, the following serial number and entries there-against shall be added, namely :—

2	3	4
"6 Superintendent	—	(i) Three years experience as Head Assistant ; or (ii) Three years experience as Personal Assistant which should include a minimum two years experience as Assistant.".

6. In the said rules, in Appendix C, the following Appendix shall be substituted, namely :—

"**APPENDIX-C**

[*See* Rule 14 (1)]

Serial No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Director, Supplies and Disposals (Engineering)	Government		Director, Supplies and Disposals, Haryana	Government
2	Assistant Director Supplies and Disposals (Textiles)		**Minor Penalties** : (i) Warning with a copy in the personal file, (character roll) ;		
3	Assistant Director, Supplies and Disposals (Chemicals)		(ii) censure ;		
4	Assistant Director, Supplies and Disposals (General)		(iii) withholding of promotion ;		
5	Assistant Director, Supplies and Disposals (Miscellaneous)		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to Central Government or State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a		
6	Superintendent				

1	2	3	4	5	6
			local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and		
		(v)	withholding of increments of pay without cumulative effect ;		
		(2)	**Major Penalties :**		
		(v-A)	Withholding of increments of pay with cumulative effect ;	Government	
		(vi)	reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;		
		(vii)	reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;		
		(viii)	compulsory retirement ;		

1	2	3	4	5	6
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;		
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.".		

7. In the said rules, in Appendix D, under columns 1 and 2, after serial number 5 and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added, namely :—

1	2
"6	Superintendent.".

M. L. TAYAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Industries Department, Chandigarh.